राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1738/2016/जयपुर
2. अपील संख्या 1739/2016/जयपुर
3. अपील संख्या 1740/2016/जयपुर
4. अपील संख्या 1741/2016/जयपुर
5. अपील संख्या 1742/2016/जयपुर
6. अपील संख्या 1743/2016/जयपुर

मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड,
न्यू मण्डावा हाउस, मण्डावा हाउस,
संसार चन्द्र रोड़, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन द्वितीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

7. अपील संख्या 221/2016/जयपुर
8. अपील संख्या 222/2016/जयपुर
9. अपील संख्या 223/2016/जयपुर
10. अपील संख्या 224/2016/जयपुर
11. अपील संख्या 225/2016/जयपुर
12. अपील संख्या 226/2016/जयपुर
13. अपील संख्या 344/2016/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड,
न्यू मण्डावा हाउस, मण्डावा हाउस,
संसार चन्द्र रोड़, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :
श्री डी.कुमार, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से

दिनांक :– 20.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी व विभाग/राजस्व द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे '**अपीलीय अधिकारी**' कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेशों दिनांक 07.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 को आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा।

लगातार.....2

क्र. सं.	अ.सं.	अपी.अधि. की अ.सं.	वर्ष	क.नि.आ. दि.	अ.अ. आ.दि.	कर	ब्याज	शास्ति
1	1738/16	90/आरवीएटी	2008–09	31.03.14	07.05.15	9,02,113	5,90,884	–
2	1739/16	91/आरवीएटी	2009–10	31.03.14	07.05.15	12,86,290	6,88,165	–
3	1740/16	92/आरवीएटी	2010–11	31.03.14	07.05.15	10,67,532	4,43,026	–
4	1741/16	93/आरवीएटी	2011–12	31.03.14	07.05.15	12,54,541	3,70,090	–
5	1742/16	94/आरवीएटी	2012–13	31.03.14	07.05.15	13,39,397	2,34,394	–
6	1743/16	95/आरवीएटी	2013–14	31.03.14	07.05.15	5,99,741	32,986	–
7	221/16	90/आरवीएटी	2008–09	31.03.14	07.05.15	–	–	18,04,226
8	222/16	91/आरवीएटी	2009–10	31.03.14	07.05.15	–	–	25,72,580
9	223/16	92/आरवीएटी	2010–11	31.03.14	07.05.15	–	–	9,28,752
10	224/16	93/आरवीएटी	2011–12	31.03.14	07.05.15	–	–	25,09,082
11	225/16	94/आरवीएटी	2012–13	31.03.14	07.05.15	–	–	26,78,794
12	226/16	95/आरवीएटी	2013–14	31.03.14	07.05.15	–	–	11,99,482
13	344/16	191/आरवीएटी	2010–11 संशोधन आदेश	22.07.14	07.05.15	–	–	12,06,312

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण करने पर पाया कि उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद के विक्रय हेतु जारी इन्वॉयस में कैण्डी वर्णित कर 4/5 प्रतिशत से कर चुकाया गया है, जबकि व्यवहारी का उत्पाद कन्फैक्शनरी है जिस पर आलौच्य अवधि में 12.5/14 प्रतिशत कर चुकाया जाना चाहिये था। आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची–चतुर्थ के तहत् करयोग्य नहीं होने एवं वैट अनुसूची–पंचम के तहत् सामान्य कर दर से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा अन्तर कर संग्रहित/जमा कराया जाना नहीं पाया।

4. सक्षम अधिकारी ने पत्रावलियों, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स का अवलोकन किया, जिसमें उसने यह पाया कि व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट् Green apple, Raw mango, Guava and Lychee Candy अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्ठि संख्या 163 के अनुरूप Sugar Candy made of Sugar & Glucose but excluding coco नहीं है। रेपर्स/पैकिंग के अवलोकन पर SUGAR BOILED CONFECTIONERY अंकित पाया गया, क्योंकि ऐसा ही बिक्रीत माल पर अंकित पाया गया। जिससे इसे ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पाया गया। व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल पर 4/5 प्रतिशत से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। व्यवहारीगण द्वारा बिक्रीत माल पर अंकित होना उनके प्रोडक्ट के लिये रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क को इंगित करता है, अतः बिक्रीत माल ब्रान्डेड कन्फेक्शनरी है। अतः आलोच्य अवधियों में अनुसूची V के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य माल होने के बावजूद व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा गलत निर्वचन किया गया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा कर राजकोष में कम कर अदा करते हुए कर परिवर्जन व अपवंचन किया जाना प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाबों से अंसतुष्ट होते हुये अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया गया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.05.2015 द्वारा शास्ति के बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि

लगातार.....3

"व्यवहारी द्वारा निर्मित केण्डी में काम में लिये गये शुगर व ग्लूकोस के अलावा अन्य अवयवो के संबंध में जांच कर साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित करे कि क्या ये अवयव अपने आप में खाने योग्य हैं।" व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों जिसमें व्यवहारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज के बिन्दुओं के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रकरण को जांच हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित होकर एवं राजस्व द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने एवं शास्तियों के अपास्त किये जाने पर यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारी ने कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि संख्या 163 जोडी गई तदनुरूप 'Sugar candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार बिक्रीत उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तद्नुसार 4/5 प्रतिशत कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar candies made of sugar and glucose and containg flavours, cream and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevdutta VK Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC-0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होनें कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने है तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulisifiers and colorants होते हैं।

7. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का आगे सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन–1 का हवाला देते हुये यह कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में मीठी गोली, जिसमें 90 प्रतिशत शुगर होने को कन्फैक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषक का आगे यह तर्क रंहा है कि राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा0 लि0 (2011) 31TUD 17 तथा पारले प्रोडक्टस प्रा0 लि0 (2013) 36TUD 12 के तथ्य वर्तमान प्रकरणों से भिन्न है। उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में दोनों कम्पनियों के उत्पाद में हाइड्रोजेनेरेटड ऑयल, कन्डेन्सड मिल्क, बटरफेटएडिबल सॉल्ट, कोका बटर, बटर फेट, मैंगोफ्रेश, स्किमड मिल्क पाउडर इत्यादि खाने योग्य अवयवों का मिश्रण किया गया था, उसके अतिरिक्त कोको का मिश्रण भी किया गया था जबकि अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरणों में किसी भी खाने योग्य वस्तुओं का सम्मिश्रण नहीं किया गया है।

8. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त का अधिनियम की धारा 12–ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राईजेज, कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होने का तर्क प्रस्तुत किया है। उन्होंने कतिपय लैबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.06.2008 के द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि 174 जोडी गई तदनुरूप दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक

लगातार.....4

की अवधि हेतु ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर 4 प्रतिशत की कर दर विहित की गई जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानकर सामान्य कर दर तथा ब्याज आरोपित कर दिया जो कि उक्त अधिसूचना के आलोक में विधिनुकूल नहीं है तथा जब व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद प्रविष्टि संख्या 163 के अन्तर्गत आता है तब अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना भी विधिसम्मत नहीं है कि "अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित कैण्डी में काम में लिये गये शुगर व ग्लूकोज के अलावा अन्य अवयवों के संबंध में जांच कर साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित करें कि क्या वे अवयव अपने आप खाने योग्य है"

9. अपने तर्कों के समर्थन में इनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये

1. [Supreme Court of India] Frick India Limited Vs State of Haryana May 13, 1994.
2. [In The Supreme Court of India] (2009) VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu April 21, 2009
3. [Supreme Court of India] J.K. Synthetics Ltd. Vs Comm. Taxes Officer (C.A. Nos. 3414 to 3416 of 1982) Birla Cement Works Vs State of Rajasthan May 9, 1994.
4. [2012] 51 VST 130(Mad) [In The High Court] Cadbury India Limited Vs Assisstant Commissioner (CT), Chennai July, 2009
5. [In The High Court of Karnataka At Bangalore] Kundanamal Ganeshmal And Borthers Vs State of Karnataka February 12, 1993.
6. [2012] 48 VST 107 (AP) [In The Andhra Pradesh High Court] Banyan Enterprises Vs Commercial Tax Officer August 24, 2011.
7. [2017] 98 VST 172 (Bom.) [In The Bombay High Court] Zamil Steel Buildings India Pvt. Ltd. Vs State of Maharashtra December 23, 2016
8. [In The High Court of Rajasthan At Jodhpur] Black Stone Rubber Industries Pvt. Ltd. Vs State of Rajasthan February 19, 2001.
9. [2011] 39 VST 184(All) [In The Allahabad High Court] Kesar Enterprises Ltd. Vs State of U.P. August 27, 2010/
10. [2011] 43 VST 222(All) [In The Allahabad High Court] Dabur India Limited Vs State of U.P. December 6, 2010/
11. [In The Allahabad High Court] Harbans Lal Malhotra Vs Assistant Commissioner Ghaziabad July 28, 1994
12. [In The High Court of Kerala At Ernakulam] New Prasanthi Automobiles Co. Vs State of Kerala Sepetember 26, 1992.
13. Reportes of Sales Tax Cases Vol. 146 2006 [High Court of Madhya Pradesh] Commissioner of Commercial Tax, Indore Vs Modern Agency October 25, 2004.
14. [In The High court of Rajasthan] Jaipur Bench Cycle Hatt of Jaipur Vs The Board of Revenue May, 13, 1977.
15. [2007] 5 VST 197 (All) [In The Allahabad High Court] Carbon Crafts Pvt. Ltd. Vs state of U.P. December 13, 2005.
16. In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur Commercial Taxes Officer Vs Ms Heera Lal Murlidhar Bikaner Date July 2, 1992.

अतः उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

10. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोडी गई थी जो निम्न प्रकार से थी :–

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pestries, confectionery excluding chocolates "

लगातार.....5

दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से Confectionery के पूर्व में unbranded जोडा गया। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी की बिक्री आरोपित सामान्य कर दर एवं आरोपित ब्याज की पुष्टि की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया आच्छादित होने से उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है। उपराजकीय अभिभाषक द्वारा आगे यह कथन किया गया है कि वर्तमान प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी होने के कारण सामान्य कर दर से कर योग्य माल को व्यवहारी ने जानबूझकर इसे अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के अन्तर्गत मानते हुये कर अदा कर साशय करापवंचना की गई है जिससे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत शास्ति अधिरोपित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त शास्ति को अपास्त किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। इस प्रकार उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति को पुनः रेस्टोर कर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

11. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा माल राज्य के भीतर बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है या नहीं तथा इस पर कर दर क्या होगी ?

12. सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 4/5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित ब्राण्डेड उत्पाद की बिक्री होने से व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्ठि संख्या **"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pestries, confectionery excluding chocolates "** से बाहर ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पाई गई है। अनब्राण्डेड कन्फेक्शनरी अधिसूचना दिनांक 08.05.2006 के अुनसार 4/5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है परन्तु इस अधिसूचना के प्रभाव से ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी सामान्य कर दर से करयोग्य हो गई। अतः व्यवहारी द्वारा की गई ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री होना सिद्ध होता है। सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रुप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा की गई विवादित बिक्री को **ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी** प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.02.2008 से उपरोक्त वर्णित समस्त अधिसूचनाऐं दिनांक 01.04.2006 से प्रभावशील है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की अनुसूची–V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में करारोपण किया है।

13. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन–1 में मीठी गोली, जिसमें 90 प्रतिशत शुगर होने को कन्फैक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी मानने के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के उत्पादों में भी 90 प्रतिशत से अधिक शुगर एवं ग्लूकोज है तथा उसमें अन्य खाने योग्य अवयव मिश्रित नहीं हैं, इसलिये व्यवहारी के उत्पाद प्रविष्टि संख्या 163 से आच्छादित है।

लगातार.....6

इसी कारण व्यवहारी के उत्पाद राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा0 लि0 (2011) 31TUD 17 तथा पारले प्रोडक्टस प्रा0 लि0 (2013) 36TUD 12 के उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों की कम्पनियों के उत्पाद में खाने योग्य अव्यवों का मिश्रण होने से उनसे भिन्न है। यहां यह उल्लेखनीय है कि **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी समान तथ्यों पर विवादित कन्फेक्शनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017** में न्यायिक दृष्टांत सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर के तथ्यों का विस्तृत विवेचन (Discuss) करते हुये यह अभिनिर्धारित किया कि हीरा लाल मुरलीधर के मामलें में शुगर कैण्डी/मीठी गोली शुद्ध रुप से शुगर की गोली (Purely Lumps of Sugar) थी, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था, जबकि उक्त न्यायिक दृष्टांत में उत्पाद में शुगर के अतिरिक्त अन्य अवयव भी समिश्रित थे। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के उक्त न्यायिक दृष्टांत एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017** के पैरा संख्या 17 एवं 19 का उल्लेख किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है :–

> **"17. Taking into consideration the judgment of this court in the case of M/s. Heera Lal Murlidhar (supra), where this court has taken into consideration the meaning of "confectionery" from various dictionaries, as reproduced hereinbefore, it would show that the AO had taken into consideration that the products manufactured by the assesses are produced on account of constant mixing and blending with various ingredients and these are hardened sweet confectionery which are prepared by mixing various ingredients. Applying the test as laid down by this court in the case of M/s Heera Lal Murlidhar (supra), a sugar candy or Meethi Goli which was considered by this court contains purely lumps of sugar and nothing more, whereas in the instant case it is merely not sugar but many more ingredients are added to it. These are essentially toffees or other products and cannot fall purely as a Sugar Candy containing majority of sugar. "**
>
> **"19. In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unision is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."**

14. व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के समान प्रकृति का है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परफेटी वान मैले इण्डिया प्रा0 लि0 में दिनांक 17.02.2017 को पारित निर्णय से वर्तमान समस्त प्रकरण आच्छादित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण आदेश में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के रेपर्स, पैकिंग के फोटो के अनुसार उनको शुगर बॉइल्ड कन्फैशकनरी घोषित कर विक्रय करती है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी का विक्रय किया गया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरणों में पूर्णतः लागू होने से बिक्रित उत्पाद को कन्फैशक्नरी मानकर अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी का यह अभिमत प्रकट किया

लगातार.....7

है कि कर निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी के कैण्डी उत्पादों में मिश्रित अवयव खाने योग्य है अथवा नहीं? इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित कैण्डी में काम में लिये गये शुगर व ग्लूकोज के अलावा अन्य अवयवों के संबंध में जांच कर साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित करें कि क्या वे अवयव अपने आप खाने योग्य है? इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परफेटी के मामले में अपीलार्थी व्यवहारी के समान उत्पादों को कन्फैश्कनरी माना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के प्रकरण को कैण्डी में शुगर व ग्लूकोज के अतिरिक्त मिश्रित अवयवों के पृथक से खाने योग्य पदार्थ होने की जांच के लिये प्रतिप्रेषित करना विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज विधिसम्मत होने से पुष्टि किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरणों से भिन्न से अपीलार्थी व्यवहारी की कोई मदद नहीं करते है।

15. परन्तु जहां तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(15) एफडी/टैक्स/2008–19 दिनांक 03.06.2008 के अनुसार ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर कर दर दि. 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक की अवधि हेतु 4 प्रतिशत विहित की गई है अतः इस संबंध में संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि यदि कतिपय अपीलों में दिनांक 01.04.2006 से 07.05.2006 की अवधि में व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री की गई है तो उस पर 4 प्रतिशत कर एवं तदनुरूप ही ब्याज आरोपित किया जावे।

16. जहां तक शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेशों में मुख्य रुप से यह अभिमत प्रकट किया है कि व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहारों को प्रस्तुत प्रपत्रों में घोषित किया गया है तथा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21.04.2009 प्रकरण श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC)** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर शास्ति को अपास्त किया गया।

17. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षित उल्लेख यहा किया जाना समीचीन है जो निम्नानुसार है:–

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

18. अपीलीय अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि व्यवहारी के बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तथा व्यवहारी द्वारा प्रविष्टियां छिपायी नहीं गयी है एवं विवरण पत्रों में भी समस्त क्रय–विक्रय दर्शाया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा वस्तुओं की वर्गीकरण के संबध में कर की दर को चुनौती दी गयी है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वस्तु का भिन्न वर्गीकरण मानकर कारारोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा समस्त क्रय–विक्रय अपने विवरण प्रपत्रों में दर्शाया जाने के संबंध में कोई

लगातार.....8

विवाद नहीं है और यह भी निविर्वादित है कि व्यवहारी ने किसी भी संव्यवहार को छिपाया नहीं है। इसी आधार पर ही अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की सांशय कर चोरी की मंशा नहीं मानी गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत STR/Refresh मैसर्स पेरफेटी वानमेले इण्डिया प्रा. लि. बनाम उपायुक्त (अपील्स) निर्णय दिनांक 17.02.2017 में भी यह विवाद था कि व्यवहारी का प्रकरण अनुसूची IV की किसी विशिष्ट प्रविष्टि में आयेगा या अनुसूची V की अवशिष्ट (Residuary) प्रविष्टि में आयेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे एक Debatable Issue की श्रेणी में माना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर शास्ति को अपास्त करने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गयी। वर्तमान प्रकरण के तथ्य भी उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों के समान है। वर्तमान प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया। इस प्रकार शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी के शास्ति को अपास्त करने के उक्त निष्कर्ष से यह खण्डपीठ सहमत है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का शास्ति अपास्त किये जाने का निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

19. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं विभाग/राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.05.2015 द्वारा शास्ति को अपास्त किए जाने की पुष्टि की जाती हैं तथा प्रकरण को व्यवहारी द्वारा बिक्रीत कैण्डी में शुगर व ग्लूकोज के अतिरिक्त मिश्रित अवयवों के पृथक से खाने योग्य पदार्थ होने की जांच के लिये कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है किन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 12(15) एफडी/टैक्स/2008–19 दिनांक 03.06.2008 के अनुसार ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर कर दर दि. 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक की अवधि हेतु 4 प्रतिशत विहित की गई है अतः इस संबंध में संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि यदि कतिपय अपीलों में दिनांक 01.04.2006 से 07.05.2006 की अवधि में व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री की गई है तो उस पर 4 प्रतिशत कर एवं तदनुरूप ही ब्याज आरोपित किया जाये।

20. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त प्रकरणों की पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जाये।

20/2/18

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

20/02/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य